कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

आण्डा लखीराम,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001

ई मेल: mdnhmuk@gmail.com दूरभाष / फैक्स 0135 2608646

पत्रांक– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-IV/ ५३८ दिनांक: 16/05/2026

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में "तम्बाकू मुक्त ग्राम" हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु "तंबाकू मुक्त ग्राम (TFV)" संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये **(संलग्न)**। जिनका उद्देश्य ग्राम स्तर पर तंबाकू उपयोग में कमी लाना, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है।

Global Adult Tobacco Survey 2016–17 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 26.5 प्रतिशत वयस्क तम्बाकू का उपयोग करते हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं घरेलू स्थानों पर 2nd hand smoke के कारण गैर संचारी रोग विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तम्बाकू से सम्बन्धित रोगों का बढ़ता बोझ स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालता है, जिस हेतु सामुदायिक स्तर पर समेकित एवं सतत् प्रयास आवश्यक हैं।

उक्त के कम में "तंबाकू मुक्त ग्राम" को "स्वस्थ ग्राम (Healthy Village)" अवधारणा के साथ अभिसरण करते हुए राज्य के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने है। इस पहल के अंतर्गत ग्राम सभाओं में तंबाकू नियंत्रण एजेंडा में शामिल करना, ग्राम पंचायत स्तर पर तंबाकू मुक्त संकल्प पारित करना, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू निषेध, जन–जागरूकता गतिविधियाँ, तथा समुदाय आधारित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना प्रमुख गतिविधियाँ हैं।

"तंबाकू मुक्त ग्राम" हेतु जारी दिशा–निर्देश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (DTCC), कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद द्वारा एन0टी0सी0पी0 कार्यकम के अन्तर्गत समय–समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीया,

(डा0 रश्मि पन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(डा0 रश्मि पन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner